अब पार्कों को कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जाएगा

जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के नाम पर दो सौ पार्कों में कूड़ा इकट्ठा करने का खेल कर रहे निगम अधिकारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कूड़ा निस्तारण में असफल साबित हो रही चाइनीज कंपनी ईकोग्रीन पर खट्टर सरकार के भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी इतने मेहरबान हैं कि अब पार्कों को ही कूड़ाघर बनाने पर उतर आए हैं। बहाना बनाया जा रहा है कि पार्कों में कूड़े से खाद बनाने की मशीनें लगाई जाएंगी। बंधवाड़ी में कूड़ा डंप करने पर लगे प्रतिबंध और विधानसभा क्षेत्रों में डंप यार्ड बनाए जाने के विरोध को देखते हुए अब निकम्मे अधिकारी जनता को कूड़े से खाद बनाने के नाम पर वरगला कर पार्कों को ही डंप यार्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने का जुमला फेका था। स्वच्छ भारत के तहत स्मार्ट सिटी चुने गए फरीदाबाद में कूड़ा निस्तारण के लिए मेड इन इंडिया का ढोल पीटने वाली मोदी-खट्टर सरकार ने चीन की कंपनी ईकोग्रीन को ठेका दिया था। ठेके के मुताबिक कंपनी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करेगी और इससे रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) अलग कर बिजली बनाने में इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने कभी भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसके पास तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए और खत्तों से डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त वाहन भी नहीं हैं। बावजूद इसके मोदी-खट्टर की चहेती इस कंपनी को नगर निगम के अधिकारियों ने अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि संसाधन उपलब्ध कराए। हालांकि धांधली का खुलासा होने पर भ्रष्ट अधिकारियों ने बेमन से कंपनी की यह सुविधा बंद कर दी।

इधर एनजीटी ने 2022 में बंधवाड़ी में लगे कूड़े के ऊंचे ढेर समाप्त करने का आदेश जारी किया। कंपनी को कार्यशैली में सुधार करने और रोजाना इकट्ठे किए गए कूड़ें का उसी दिन निस्तारण करने का आदेश देने के बजाय निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों ने शहर में ही कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने का फैसला ले लिया। सबसे पहले मंत्री मूलचंद ने सीही गांव वालों से झूठ बोलकर वहां कचरा निस्तारण संयंत्र बनवाने का प्रयास किया लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया। पाली, रिवाजपुर और फतेहपुर में भी डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध हुआ।

एनजीटी का दबाव और जनता का विरोध देखते हुए अब लूट कमाई में माहिर निगम अधिकारी शहर के दो सौ पार्कों को डंपिंग यार्ड बनाएंगे। पार्कों में कूड़ा डाले जाने का विरोध न हो तो इसे जैविक अपशिष्ट परिवर्तन संयंत्र लगाए जाने का जामा पहना कर लोगों को बहलाया जा रहा है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पदम भूषण के मुताबिक पार्कों के कूड़े के निस्तारण के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर (ओडब्ल्यूसी) मशीनें लगाई जाएंगी। बताते चलें कि इस मशीन की कीमत बीस लाख रुपये है यानी दो सौ पार्कों में यह मशीन लगाने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, यह पैसा कहां से आएगा पद्म भूषण यह नहीं बता सके।

कूड़े से जैविक अपशिष्ट अलग कर उसकी खाद और ईंधन बनाने का काम ईकोग्रीन कंपनी तो आज तक नहीं कर सकी। अब निगम अधिकारी पार्कों में जैविक ईंधन व खाद तैयार करने के नाम पर हवाई किले बनाने की घोषणा कर रहे हैं। मालूम हो कि बंधवाड़ी का कूड़ा संयंत्र भी अस्थायी ही बनाया गया था लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां एक बार कूड़ा डालना शुरू किया गया वहां पहाड़ बनने में ज्यादा देर नहीं लगती।

पार्क की गन्दगी तो साफ नहीं हो रही, अब लगाए जायेंगे कूड़े के ढेर

इस सबके पीछे निगम अधिकारियों की मंशा मात्र इतनी है कि इन पार्कों को ही कूड़ा निस्तारण केंद्र बना दिया जाए तो ईकोग्रीन की भी समस्या कम हो जाएगी और एनजीटी में भी अपनी पीठ थपथा लेंगे, इस सबके बीच आम जनता प्रदूषण झेले या कूड़े की बदबू निगम के बदतरीन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की लूट का ठेका पृथ्वी सिंह के पास ही है

2015 और 2016 में भी खाद्य मिलावट खोरों से मिलीभगत में आया था नाम

पलवल (मज़दूर मोर्चा) मज़दूर मोर्चा के गतांक में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की खबर छपी थी। खबर में उल्लेख था कि जिला अभिहित अधिकारी पृथ्वी सिंह किस तरह स्टाफ की कमी का रोना रोकर मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने वालों पर अंकुश नहीं लगाता। पिछले करीब बारह साल से फरीदाबाद-पलवल में ही तैनात पृथ्वी सिंह के भ्रष्टाचार और लूट कमाई की खबरें मजदूर मोर्चा में 2015 में भी छपी थीं।

तब पलवल में रहने वाले अजय सिंह ने पृथ्वी सिंह पर सिंथेटिक दूध डेयरी संचालक से मिलीभगत का आरोप लगाया था। अजय सिंह के अनुसार वह बामनी खेड़ा की एक डेयरी से दूध मंगवाते थे। उन्हें दूध की गुणवत्ता खराब लगी तो गोपालजी डेयरी में अपने जानकार लैब टेक्नीशियन से जांच करवाई। जांच में दूध सिंथेटिक निकला। हजारों लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे डेयरी संचालक पर कार्रवाई करने के लिए अजय सिंह ने तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी पृथ्वी सिंह से शिकायत कर सैंपल भरने की मांग की थी। अजय सिंह का आरोप था कि पृथ्वी सिहं ने सैंपल नहीं भरने के लिए कई बहाने बनाए और उन्हें टरकाने का प्रयास किया लेकिन वह अड़े रहे। मजबूर होकर पृथ्वी सिंह ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया और कहा कि जब डेयरी वाला आए तो उन्हें फोन कर दें, वह मौके पर पहुंच कर सैंपल भर लेंगे। अजय सिंह ने यह बात अपने लैब टेक्नीशियन दोस्त को बताई। दोस्त ने समझाया कि उनके निकलते ही पृथ्वी सिंह ने डेयरी संचालक को फोन कर दिया होगा कि तेरी शिकायत आई है इसलिए कुछ दिन सही काम कर। दोस्त की सलाह मान कर अजय ने सैंपल नहीं भरवाया। हुआ भी वहीं कुछ दिन तक तो सही दूध आया लेकिन फिर गड़बड़ होने लगी तो उन्होंने दूध लेना ही बंद कर दिया।

अजय सिंह ने पृथ्वी सिंह के भ्रष्टाचार की दूसरी घटना भी बताई। उनके एक दोस्त के हल्दीराम ग्रुप से व्यावसायिक संबंध हैं। उनके मुताबिक 2016 में होली के दो तीन दिन पहले वह उसी दोस्त के साथ फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट में बैठे थे। इस दौरान उनकी नजर रेस्टोरेंट में रसगुल्लों के सैंपल भर रहे पृथ्वी सिंह पर पड़ी। पृथ्वी सिंह रेस्टोरेंट के मैनेजर से गर्म लहजे में बात कर रहा था। बात बनती नहीं देख मैनेजर अजय सिंह के दोस्त के पास आया और कान में कुछ बता कर मदद मांगी। इस पर उनका दोस्त पृथ्वी सिंह से बात करने गया और कुछ ही देर में मामला शांत हो गया। लौट कर दोस्त ने बताया कि पृथ्वी सिंह रेस्टोरेंट के प्रबंधक से प्रति महीने बंधी राशि के अतिरिक्त बीस हजार रुपये और मांग रहा था। प्रबंधक ने मालिक से पूछे बिना रकम देने से इनकार कर दिया। इससे चिढ़कर पृथ्वी सिंह रसगुल्लों का सैंपल भर रहा था। अजय ने पूछा कि यदि सैंपल फेल हो गए तो क्या होगा ?

इस पर दोस्त ने कहा कि यदि सैंपल फेल हो गया तो कैद तो होगी ही होगी जुर्माना भी लगेगा। इससे बचने के लिए पचास हजार रुपये दिए जाने पर बात तय हुई है। पृथ्वी सिंह ने पहले एसेंस वाले रसगुल्लों का सैंपल भर कर पर्ची काटी थी। क्योंकि सौदा तय होने के बाद रसगुल्लों का सैंपल बदल दिया जाएगा। दोस्त का कहना था कि महीना बंधा होने के बावजूद अतिरिक्त कमाई के लिए ही सैंपल भरे जाते हैं। जो दुकानदार अतिरिक्त रुपया देता है तो उसका सैंपल बदल दिया जाता है अन्यथा खराब माल ही जांच के लिए भेज दिया जाता है, दबाव में दुकानदार पैसा अदा कर ही देता है। प्राधिकरण के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि पृथ्वी सिंह राजनेताओं से लेकर उच्चतम अधिकारियों को खुश रखता है, यही कारण है कि वह जगह-जगह दावा करता है कि चाहे जहां उसकी शिकायत कर लो या उसके खिलाफ अखबारों में छाप लो कोई उसे हटवा नहीं पाएगा।

निजी बिल्डर को फायदा पहुंचा रही है खट्टर सरकार

- ग्रीन फील्ड कॉलोनी के बिल्डरों पर ईडीसी-आईडीसी का करीब सौ करोड़ रुपया है बकाया

- हूडा के अपने कई सेक्टरों की हालत खराब है लेकिन सरकार ग्रीन फील्ड वालों को दे रही सहूलियत

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) खट्टर सरकार आम जनता से वसूले गए टैक्स की मोटी रकम उस ग्रीन फील्ड पर खर्चेगी जिसके बिल्डर- डेवलपर ने ईडीसी-आईडीसी की सौ करोड़ रुपये से भी अधिक की रकम सरकार को जमा ही नहीं कराई। पार्टी विद डिफरेंस का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार अब चंद वोट पाने के लिए तुष्टिकरण पर भी उतर आई है, इसके लिए नियम-कानून भी ताक पर रखने में कोई गुरेज नहीं महसूस करती।

1976 में विकसित हुई ग्रीन फील्ड कॉलोनी अपनी स्थापना के बाद से ही विवादों में घिरी रही। बिल्डर एवं डेवलपर ने खरीदारों से तो ईडीसी-आईडीसी शुल्क वसूला लेकिन सरकार में जमा करा कर कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं कराया। साढ़े पांच दशक में यह शुल्क कई गुना बढ़ गया है। पूर्व निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया के अनुसार ग्रीन फील्ड कॉलोनी में सुविधाएं देने के लिए करीब 110 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यानी कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए बिल्डर को 110 करोड़ रुपये चुकाने पड़ते। बताते चलें कि वर्तमान में बिल्डर कंपनी के कई शेयर होल्डर भाजपा नेताओं के फाइनेंसर भी हैं।

दरअसल ग्रीन फील्ड में अभी भी काफी ज़मीन खाली पड़ी है जिसकी कीमत वर्तमान में करोड़ों में है। सरकार के फाइनेंसर इन डेवलपरों की रुचि यहां के रेजिडेंट्स के कल्याण में नहीं बल्कि इस बेशकीमती ज़मीन में है। सरकार के खर्च पर आधारभूत सुविधाएं विकसित होने पर इस जमीन के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और डेवलपर फिर से मलाई काटेंगे। अपने इन फाइनेंसरों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री खट्टर को कॉलोनी टेकओवर करवाने पर राजी कर लिया, बावजूद इसके कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

नूंह हिंसा पर विधानसभा में बहस की मांग कर रहे विपक्ष को मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर शांत करने वाली खट्टर सरकार ने ग्रीन फील्ड का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद इसे टेकओवर कर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की घोषणा कर दी।

फाइनेंसरों को खुश करने के साथ ही सरकार ने वोट पाने के लिए भी यह चाल चली है। विधानसभा चुनाव का एक वर्ष ही बचा है, बांटो और राज करो की राजनीति में विश्वास करने वाली भाजपा की खट्टर सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। तेजी से खिसकते जनाधार को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, ग्रीन फील्ड कॉलोनी टेकओवर की घोषणा इसका उदाहरण है। खट्टर, केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर और विधायक सीमा त्रिखा को लगता है कि सौ करोड़ रुपये के विकास कार्यों की मुफ्त रेवड़ी मिलने से ग्रीन फील्ड कॉलोनी वासी उनके पक्ष में वोट डालेंगे।

बुजुर्ग समाजसेवी सुरेश गोयल कहते हैं कि सरकार नगर निगम और हूडा के क्षेत्र में तो नागरिकों को पेयजल, सीवेज, जल निकासी आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही लेकिन ग्रीन फील्ड जैसी निजी कॉलोनी में करोड़ों रुपये खर्च करेगी। कॉलोनी के विकास में जो करोड़ों रुपये खर्च होंगे वो कोई नेता अपनी जेब से नहीं लगाएगा बल्कि आम जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाएगा।

अगर खट्टर सरकार ने ग्रीन फील्ड कॉलोनी को टेकओवर करने के एवज में दलाली नहीं खाई है तो उसे चाहिए कि कॉलोनी में अभी खाली पड़ी जमीन को कब्जे में लेकर उसकी बिक्री करे। जमीन की बिक्री से होने वाली आय से वह कॉलोनी में सुविधाएं विकसित कराए। मुख्यमंत्री खट्टर यदि सच में ईमानदार हैं तो सारे दस्तावेजों की जांच कराएं, यदि डेवलपर ने प्लॉट खरीदारों से ईडीसी-आईडीसी शुल्क वसूला है लेकिन जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करा जेल भेजें।

यह है ग्रीन फील्ड कॉलोनी की कहानी

ग्रीन फील्ड कॉलोनी पांच दशक पहले अर्बन इंप्रूवमेंट नामक कंपनी ने विकसित की थी। 434 एकड़ की इस योजना में 3713 प्लॉट काटे गए थे। इनमें आवासीय प्लॉट के अलावा शिक्षण संस्था, अस्पताल और मनोरंजन व सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भवन के भी प्लॉट आवंटित किए गए थे। डेवलपर ने प्लॉट बेचे और खरीदारों से आंतरिक व वाह्य विकास (ईडीसी-आईडीसी) विकास शुल्क वसूला लेकिन सीवर-पानी आदि मूलभूत सुविधाएं देने के लिए यह शुल्क हूडा या नगर निगम में नहीं जमा करवाया। इस कारण कॉलोनी इन आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह गई। इस बीच 1982 में यूआईसी के तत्कालीन डायरेक्टर ने नियम के खिलाफ जाते हुए 48 प्लॉट गैर कानूनी रूप से बेच दिए थे जिससे कंपनी के शेयरधारक और डायरेक्टर के बीच विवाद हो गया और मामला कोर्ट में चला गया।

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का बहाना बनाकर बिल्डरों ने कॉलोनी हूडा या नगर निगम के हैंडओवर नहीं की। इसके विपरीत नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए बिल्डर उनसे शुल्क वसूलते रहे। इस दौरान कॉलोनी निवासी बिंदे भड़ाना सहित एक अन्य आरडब्ल्यूए ने भी कोर्ट केस कर दिया। वर्तमान में न्यायालय में कॉलोनी से संबंधित चार मामले विचाराधीन हैं। सरकार को चाहिए कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही कोई फैसला करे।